

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज रैफ0सं0 232/2012 तहसीलदार कुम्हेर बनाम बुद्धीसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
21.2.2018	<p>पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण प्रार्थी तहसीलदार कुम्हेर से अप्रार्थी के कायम मुकामान की रिपोर्ट के अभाव में काफी लम्बे अर्से से लम्बित है। प्रकरण में अप्रार्थी के का0मु0 रिपोर्ट बाबत न्यायालय हाजा द्वारा लिखे जाने के उपरान्त भी प्रार्थी तहसीलदार कुम्हेर की ओर से कोई कार्यवाही न किया जाना उनकी ओर से प्रकरण को आगे न चलाये जाने की दिलचस्पी को जाहिर करता है। जबकि प्रचलित नियमों के अंतर्गत वाद को सिद्ध करने /नियमानुसार न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति किये जाने का पूर्णरूपेण दायित्व प्रार्थी का ही रहता है। यह प्रकरण उनके पत्रांक एलआर/12/5076 दिनांक 17.9.2012 से प्राप्त हुआ था। रैफरेंस अनुसार अप्रार्थी संख्या-1 बुद्धीसिंह को आप द्वारा पूर्व से ही मृतक अंकित किया गया है जो नियमों के परिपेक्ष्य में कतई उचित नहीं है क्यों कि किसी भी मृत व्यक्ति के खिलाफ कोई वाद नहीं लाया जा सकता है। इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 2 के फौत हो जाने के बाद भी आप द्वारा उसके कायम मुकामान की कार्यवाही नहीं की गई है। गत सभी पेशियों पर पैरोकार सरकार भी उपस्थित होते रहे हैं जिन्हें भी हिदायत दिये जाने के उपरान्त कोई कार्यवाही नहीं की गई है। का0मु0 की रिपोर्ट के अभाव में प्रकरण काफी अर्से से लम्बित चल रहा है। ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आर्डर 9 रूल्स 5 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण अदम पैरवी एवं अदम तक्मील में खारिज योग्य ही रहता है।</p> <p>अतः तहसीलदार कुम्हेर को हिदायत देते हुये कि प्रकरण के परीक्षणोपरान्त अप्रार्थीगण के वास्तविक का0मु0 की सूचना अंकित करते हुये पुनः प्रार्थनापत्र रैफरेंस प्रस्तुत किये जाने की स्वतन्त्रता के साथ यह प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता के आर्डर 9 रूल्स 5 के प्रावधानों के तहत इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति संबधित तहसीलदार कुम्हेर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 21.2.2018 को सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर</p>	